

घोषित अभिनिर्णय आदेश

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 1-  | वाद संख्या -  | आठ-11/01, सन, 2004   |
| 2-  | जिला/तहसील/परगना-   | बरेली/बरेली/बरेली  |
| 3-  | ग्राम का नाम  | अहमदपुर  |
| 4-  | अर्जन निकाय का नाम-   | उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण बरेली                             |
| 5-  | अर्जन का प्रयोजन  | शामगमा नगर आवासीय योजना फेस-2 के निर्माण हेतु ।                    |
| 6-  | क्या भूमि जमींदारी विनाश क्षेत्र में है-  | हां  |
| 7-  | क्या प्रस्ताव में धारा-17 के प्रावधान लागू है-  | हां  |
| 8-  | धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति संख्या/दिनांक -   | संख्या 608/9-आ0-3-2004-49 एल.ए.2003<br>लखनऊ दिनांक 03.06.2004      |
| 9-  | धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति का राजकीय गजट में प्रकाशन का दिनांक-                                    | दिनांक 03-06-2004  |
| 10- | धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति का दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन का दिनांक                       | 1- दैनिक जागरण दिनांक 07.07.2004<br>2- अमर उजाला दिनांक 07.07.2004 |
| 11- | धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति के शुद्धि पत्र के गजट का दिनांक   | 23.12.2004 ✓ <i>कमाल</i>   |
| 12- | धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति के शुद्धि पत्र के गजट का दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन का दिनांक | 1- दैनिक जागरण दिनांक 20.01.2005<br>2- अमर उजाला दिनांक 20.01.2005 |
| 13- | धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति के नोटिस का दिनांक  | 22.02.2005 ✓   |
| 14- | धारा-6(1)/17 की विज्ञप्ति संख्या/दिनांक   | 2168/8-3-2005-49 एल.ए0 2003<br>लखनऊ दिनांक 04.07.2005              |
| 15- | धारा-6(1)/17 की विज्ञप्ति का राजकीय गजट में प्रकाशन का दिनांक                                     | दिनांक 04.07.2005 ✓  |
| 16- | धारा-6(1)/17 की विज्ञप्ति का दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन का दिनांक                         | 1. अमर उजाला दिनांक 22.08.2005<br>2. रोटीराम दिनांक 22.08.2005 ✓   |
| 17- | धारा-6(1)/17 की विज्ञप्ति की सर्वसाधारण सूचना/मुनादी का दिनांक                                    | 13/14-09-2005  |
| 18- | कब्जे का दिनांक-  | 16.12.05   |
| 19- | अभिनिर्णय का दिनांक   |  |
| 20- | अनुमानित प्रतिकर  | बजट में प्रावधानिक है  |
| 21- | कुल अर्जित क्षेत्रफल  | 11.618 हेक्टर  |
| 22- | करार के अन्तर्गत घोषित अभिनिर्णयो का क्षेत्रफल  | 3.0255 हेक्टर ✓  |
| 23- | अभिनिर्णय का क्षेत्रफल  | 4.5785 हेक्टर ✓  |
| 24- | अनुमानित प्रतिकर  | बाजार दर पर  |
| 25- | निर्धारित प्रतिकर   | बाजार दर पर  |
| क   | भूमि का मूल्य   | 81,84,471-00   |
| ख   | सम्पत्ति का मूल्य   | 68,039-00  |
|     | योग-  | 92,50,510-00   |
| II  | 100 प्रतिशत सोलेशियम  | 92,50,510-00   |

दाया प्रतिकर प्रमाणित  
 निम्न भूमि अध्यापन अधिकारी  
 (हस्तगत संगठन) बरेली

11

|    |  |                                       |
|----|--|---------------------------------------|
| घ  | 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर धारा 4 के दिनांक से कब्जे के दिनांक तक | 9,03,255-28                           |
|    | योग-   | 1,94,04,275-28 अर्थात् 1,94,04,276-00 |
| 24 | भूमि अर्जन व्यय  | नियमानुसार देय होगा।                  |
| 25 | पूजीकृत मूल्य  | नियमानुसार देय होगा।                  |

जनपद बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण बरेली द्वारा रामगंगा नगर आवासीय योजना के निर्माण हेतु ग्राम-चन्दपुर विचपुरी का क्षेत्रफल 130-017597 हेक्टर, ग्राम डोहरिया का क्षेत्रफल 87-542 हेक्टर ग्राम- मोहनपुर उर्फ रामनगर का क्षेत्रफल 30-184 हेक्टर तथा ग्राम- अहरीला का क्षेत्रफल 11-618 हेक्टर भूमि का अधिग्रहण प्रस्ताव अर्जन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव की प्रारम्भिक जांच भूमि अर्जन अधीन से करायी गयी। जांचोपरान्त प्रस्ताव सही पाये जाने पर भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894(संशोधित अधिनियम 1984) की धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति जारी/ प्रकाशित कराने हेतु निदेशक भूमि अध्याप्ति निदेशालय राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से शासन के सम्बन्धित विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया गया। जिसमें उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ द्वारा अधिसूचना संख्या- 608/9-आ0-3-2004-49 एल.ए.2003 लखनऊ दिनांक 03.06.2004 को जारी की गयी जिसका प्रकाशन असाधारण गजट में दिनांक 3.06.2004 को हुआ, तदोपरान्त नियमानुसार दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण दिनांक 07.07.2004, अमर उजाला में दिनांक 07.07.2004, को प्रकाशित करायी गयी। विज्ञप्ति के प्रकाशन उपरान्त अधिग्रहण की सूचना प्रभावित कृषकों को सार्वजनिक सूचना / मुनादी दिनांक 22.02.2005 के माध्यम से कराये गयी। विज्ञप्ति धारा-4(1)/17 की समस्त औपचारिकताये पूर्ण करने के उपरान्त प्रस्ताव भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894(संशोधित अधिनियम 1984) की विज्ञप्ति धारा- 6(1)/17 जारी/प्रकाशित कराने हेतु प्रस्ताव पुनः निदेशक भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से शासन को प्रेषित किया गया। जिस पर शासन द्वारा विज्ञप्ति धारा- 6(1)/17 की अधिसूचना संख्या- 2168/8-3-2005-49 एल.ए0 2003 लखनऊ दिनांक 04.07.2005 जिसका असाधारण राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 04.07.2005 को हुआ, तथा नियमानुसार दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन क्रमशः दैनिक अमर उजाला में दिनांक 22.08.2005, दैनिक रोटी राम में दिनांक 22.08.2005 को कराया गया, तथा जिसकी सार्वजनिक सूचना/मुनादी दिनांक 13/14-09-2005 को विधिवत करायी गयी। विज्ञप्ति धारा-6(1)/17 की समस्त औपचारिकताये पूर्ण करने के उपरान्त भूमि अध्याप्ति अधिनियम 9(1)(2)(3) के सामान्य विशेष नोटिस प्रभावित भूस्वामियों को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु जारी किये गये। नियत दिनांक पर कुल 17 भूस्वामियों ने अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की गयी। जिनका विवरण एवं निस्तारण निम्नवत् है:-

रामगंगानगर आवासीय योजना के निर्माण हेतु ग्राम-अहरीला में अधिग्रहण से प्रभावित कृषक श्री जीवनलाल ने गाटा संख्या-183,184 में अपना नाम श्री अशर्फीलाल आदि ने गाटा संख्या-09 में अपना भाग, श्री डालचन्द्र आदि ने गाटा संख्या-167, 168 में अपना अपना भाग श्री भूपराम ने गाटा संख्या-2 श्री सतीश चन्द्र ने गाटा संख्या-01 श्री खैरराज ने गाटा संख्या रहित श्री जोगराज ने गाटा संख्या-26 में अपना भाग, श्री जगदीश ने गाटा संख्या-91,211,212,134 में अपना भाग तथा श्री जोगराज ने गाटा संख्या-183,184 में अपने भाग के सम्बन्ध में समान तथ्यों का उल्लेख करते हुये अपनी भूमि को व्यवसायिक औद्योगिक व आवासीय क्षमता की भूमि बताते हुये 3 लाख रुपये प्रति बीघा खान की दर से प्रतिकर दिलाये जाने की मांग की गयी तथा इसके साथ-साथ आपत्ति कर्ताओ ने प्रतिकर की धनराशि पर भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-23(1) (2) के लामो के साथ धारा-9(1)(3) दिनांक 30.09.2005 को आपत्तियां प्रस्तुत की। चूकि उपरोक्त समस्त आपत्तियों के तथ्य एक समान होने के कारण इन आपत्तियों पर संयुक्त रूप से विचार किया गया। विचारोपरान्त यह पाया गया कि प्रत्येक भूमि एक समानता नहीं रखती है, तथा आपत्ति कर्ताओ द्वारा दिये गये तथ्यों एवं मांग के समर्थन में कोई अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसके कारण आपत्ति कर्ताओ की आपत्ति सारहीन एवं बलहीन मानते हुये नियमों के अन्तर्गत देय लामो को स्वीकार करते हुये आपत्ति निस्तारित करते हुये पत्रावलि जारी की गयी है।

न्या प्रति प्रमाणित

बसोप भूमि अध्याप्ति अधिकारी (संवृक्त संगठन) बरेली

मार्च 2014 दिनांक के अन्तर्गत भूमि अर्जन पुनर्वासन, और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-24(1)(क) के सम्बन्ध में स्पष्ट करते हुये शासनादेश के विन्दु संख्या-2 के उल्लिखित किया गया है कि भू-अर्जन के ऐसे प्रकरण जिनमें भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 की अधिसूचना जारी हो गयी उनमें 1894 के अधिनियम के अनुसार विहित प्रक्रिया द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही पूरी की जायेगी किन्तु प्रतिकर का अवधारण नये अधिनियम 2013 की (धारा-26 से 30सपठित प्रथम अनुसूची) के प्रावधानों से किया जायेगा और ऐसे मामलों में प्रदेश में पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन शासनादेश दिनांक 17.08.2010, 03.09.2010 एवं 02.06.2011 द्वारा लागू किए जायेंगे तथा प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-539/8-3-14-31 विविध/14 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 24, मार्च, 2014 के अन्तर्गत पृष्ठ संख्या-2 के प्रस्तर-ए के विन्दु क एवं ख में उल्लिखित किया गया है कि जहां उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-11 के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं किया गया है वहा इस अधिनियम के प्रतिकर का अवधारण किये जाने से सम्बन्धित सभी उपबन्ध लागू होंगे।

नये अधिनियम 2013 के अनुपालन में कुल अर्जित भूमि 11.618 में से 3.0255 हेक्टर भूमि के करार निष्पादित होने के बाद 8.5925 हेक्टर भूमि अभिनिर्णय हेतु अवशेष बचती है जिसमें से 4.014 हेक्टर भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगनादेश होने के कारण अभिनिर्णय से विरत की जाती है अभिनिर्णय हेतु अवशेष क्षेत्रफल 4.5785 हेक्टर भूमि का अभिनिर्णय घोषित किया जायेगा। ग्राम-अहरोला की अभिनिर्णय हेतु 4.5785 हेक्टर भूमि के प्रतिकर की दरों के निर्धारण हेतु नये अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत ग्राम-अहरोला भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 (संशोधित अधिनियम 1984) की विज्ञापित धारा-4(1)/17 के प्रकाशित गजट दिनांक 03-06-2004 के प्रकाशन से 3 वर्ष पूर्व की अवधि में निष्पादित हुये विक्रयपत्रों का संकलन उप निबन्धक कार्यालय बरेली से भूमि अर्जन अमीन के द्वारा कराया गया था। जिनका सत्यापन उप निबन्धक द्वारा किया गया है।

उक्त अवधि में ग्राम अहरोला में कुल 08 विक्रयपत्र निष्पादित होने की आख्या भूमि अर्जन अमीन द्वारा प्रस्तुत की गयी। जो अनुसूची -2 में रूप में पत्रावली में संलग्न है, तथा जिन्हे ग्राम मानपित्र में श्री लाल रोशनार्थ से यथा स्थान दर्शा दिया गया है। जो अर्जित भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के अनुसार पाया गया कि अनुसूची-2 के क्रमांक-01 पर अंकित विक्रयपत्र अर्जित भूमि से लगभग 01 किलोमीटर दूर व दूसरे ग्राम की सीमा पर है जिसकी दर अंकन 36.62 पैसे प्रतिवर्गमीटर है जो बहुत कम दर का विक्रयपत्र है तथा बाजारी भाव सही सही प्रदर्शित नहीं करता है जो विचार करने योग्य नहीं है। इस कारण इस विक्रयपत्र को निरस्त किया जाता है तथा अनुसूची-2 के क्रमांक-2 पर अंकित विक्रयपत्र अर्जित भूमि का है, तथा यह विक्रयपत्र आवादी बनाने के उद्देश्य से करे किया गया है जबकि अर्जित भूमि कृषि भूमि है कृषि भूमि के दृष्टिकोण से इस विक्रयपत्र की दर बहुत अधिक है जो मिसाली विक्रयपत्र के रूप में चयन किया जाना उचित नहीं है। इस कारण इस विक्रयपत्र को निरस्त किया जाता है। अनुसूची-2 के क्रमांक 3 पर अंकित विक्रयपत्र अर्जित भूमि से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तथा कम दर का विक्रयपत्र है, जो अर्जित भूमि की भावनिक क्षमता नहीं रखता है जिसे मिसाली विक्रयपत्र के रूप में चयन किया जाना उचित नहीं है तथा यह विक्रयपत्र निरस्त किया जाता है। अनुसूची-2 के क्रमांक-5, 6, 8 पर अंकित विक्रयपत्र अर्जित भूमि से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा इनकी दरें कम हैं जिनमें से अर्जित भूमि के मूल्यांकन हेतु विक्रयपत्र चयन किया जाना उचित नहीं है। इस कारण इन विक्रयपत्रों को निरस्त किया जाता है। अनुसूची-2 के क्रमांक-7 पर अंकित विक्रयपत्र अर्जित भूमि का है जो बहुत कम क्षेत्रफल का निष्पादित किया गया है जिसकी दरें व्यवसायिक व औद्योगिक दर की दरें हैं जिस कारण इस विक्रयपत्र पर विचार किया जाना उचित एवं न्यायसंगत नहीं है। दूरी एवं दर के अवगुण के कारण उक्त विक्रयपत्रों की दर अर्जित भूमि के प्रतिकर के मूल्यांकन हेतु उचित न होने के कारण स्वीकार नहीं किया जाता है, तथा निरस्त किया जाता है। अब मेरे समक्ष केवल अनुसूची-2 के क्रमांक 04 पर अंकित विक्रयपत्र विचारार्थ प्रेषित है।

दाया प्रति प्रभाषित  
 विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी  
 (उपनिबन्धक संभलन) बरेली  
 13



घोषित अनुपूरक अभिनिर्णय

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 1-  | वाद संख्या -  | आठ-11/01/01, सन, 2004  |
| 2-  | जिला/तहसील/परगना-   | बरेली/बरेली/बरेली  |
| 3-  | ग्राम का नाम  | अहिरवाला   |
| 4-  | अर्जन निकाय का नाम-   | उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण बरेली                             |
| 5-  | अर्जन का प्रयोजन  | रामगंगा नगर आवासीय योजना फ़ैस-2 के निर्माण हेतु ।                  |
| 6-  | क्या भूमि जमींदारी विनाश क्षेत्र में है-  | हां  |
| 7-  | क्या प्रस्ताव में धारा-17 के प्रावधान लागू है-  | हां  |
| 8-  | धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति संख्या/दिनांक -   | संख्या 608/9-आठ-3-2004-49 एल.ए.2003<br>लखनऊ दिनांक 03.06.2004      |
| 9-  | धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति का राजकीय गजट में प्रकाशन का दिनांक-                                    | दिनांक 03-06-2004  |
| 10- | धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति का दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन का दिनांक                       | 1- दैनिक जागरण दिनांक 07.07.2004<br>2- अमर उजाला दिनांक 07.07.2004 |
| 11- | धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति के शुद्धि पत्र के गजट का दिनांक   | दिनांक 23.12.2004  |
| 12- | धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति के शुद्धि पत्र के गजट का दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन का दिनांक | 1- दैनिक जागरण दिनांक 20.01.2005<br>2- अमर उजाला दिनांक 20.01.2005 |
| 13- | धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति के नोटिस का दिनांक  | 22.02.2005   |
| 14- | धारा-6(1)/17 की विज्ञप्ति संख्या/दिनांक   | 2168/8-3-2005-49 एल.ए. 2003<br>लखनऊ दिनांक 04.07.2005              |
| 15- | धारा-6(1)/17 की विज्ञप्ति का राजकीय गजट में प्रकाशन का दिनांक                                     | दिनांक 04.07.2005  |
| 16- | धारा-6(1)/17 की विज्ञप्ति का दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन का दिनांक                         | 1.अमर उजाला दिनांक 22.08.2005,<br>2.रोटीराम दिनांक 22.08.2005      |
| 17- | धारा-6(1)/17 की विज्ञप्ति की सर्वसाधारण सूचना/मुनादी का दिनांक                                    | 13/14-09-2005  |
| 18- | कब्जे का दिनांक-  | 16.12.05.  |
| 19- | अभिनिर्णय का दिनांक   | 16.12.2005   |
| 20- | अनुमानित प्रतिकर  | बजट में प्रावधानिक है  |
| 21- | कुल अर्जित क्षेत्रफल  | 11.618 हेक्टर  |
| 22- | करार के अन्तर्गत घोषित अभिनिर्णयों का क्षेत्रफल   | 3.0255 हेक्टर  |
| 23- | घोषित अभिनिर्णय का क्षेत्रफल  | 4.5785 हेक्टर ✓  |
| 24- | कब्जा रहित क्षेत्रफल  | 0.342 हेक्टर   |
| 25- | अभिनिर्णय का क्षेत्रफल  | 0.342 हेक्टर ✓   |
| 26- | अनुमानित प्रतिकर  | बाजार दर पर  |
| 27- | निर्धारित प्रतिकर   | बाजार दर पर  |
| ख   | भूमि का मूल्य   | 73,66,032-00   |
|     | सम्पत्ति का मूल्य   | 5,000-00   |
|     | योग-  | 78,66,032-00   |

|     |  |                      |
|-----|--|----------------------|
| ग   | 100 प्रतिशत सोलेशियम   | 73,71,032-00         |
| घ   | 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर धारा 4 के दिनांक से कब्जे के दिनांक तक | 7,19,735-84          |
|     | योग-   | 1,54,61,799-84       |
| 28- | भूमि अर्जन व्यय  | नियमानुसार देय होगा। |
| 29- | पूजीकृत मूल्य  | नियमानुसार देय होगा। |

जनपद बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण बरेली द्वारा रामगंगा नगर आवासीय योजना के निर्माण हेतु ग्राम-चन्दपुर विचपुरी का क्षेत्रफल 130-017597 हेक्टर, ग्राम डोहरिया का क्षेत्रफल 87-542 हेक्टर ग्राम- मोहनपुर उर्फ रामनगर का क्षेत्रफल 30-184 हेक्टर तथा ग्राम- अहरीला का क्षेत्रफल 11-618 हेक्टर भूमि का अधिग्रहण प्रस्ताव अर्जन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव की प्रारम्भिक जांच भूमि अर्जन अमीन से करायी गयी। जांचोपरान्त प्रस्ताव सही पाये जाने पर भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894(संशोधित अधिनियम 1984) की धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति जारी/ प्रकाशित कराने हेतु निदेशक भूमि अध्याप्ति निदेशालय राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से शासन के सम्बन्धित विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया गया। जिसमें उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ द्वारा अधिसूचना संख्या- 606/9-आ0-3-2004-49एल.ए.2003 लखनऊ दिनांक 03.06.2004 को जारी की गयी जिसका प्रकाशन असाधारण गजट में दिनांक 3.06.2004 को हुआ, तदोपरान्त नियमानुसार दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण दिनांक 07.07.2004, अमर उजाला में दिनांक 07.07.2004, को प्रकाशित करायी गयी। विज्ञप्ति के प्रकाशन उपरान्त अधिग्रहण की सूचना प्रभावित कृषकों को सार्वजनिक सूचना / मुनादी दिनांक 22.02.2005 के माध्यम से कराये गयी। विज्ञप्ति धारा-4(1)/17 की समस्त औपचारिकताये पूर्ण करने के उपरान्त प्रस्ताव भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894(संशोधित अधिनियम 1984) की विज्ञप्ति धारा- 6(1)/17 जारी/प्रकाशित कराने हेतु प्रस्ताव पुनः निदेशक भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से शासन को प्रेषित किया गया। जिस पर शासन द्वारा विज्ञप्ति धारा- 6(1)/17 की अधिसूचना संख्या- 2168/8-3-2005-49 एल.ए. 2003 लखनऊ दिनांक 04.07.2005 जिसका असाधारण राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 04.07.2005 को हुआ, तथा नियमानुसार दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन क्रमशः दैनिक अमर उजाला में दिनांक 22.06.2005, दैनिक रोटी राम में दिनांक 22.08.2005 को कराया गया, तथा जिसकी सार्वजनिक सूचना/मुनादी दिनांक 13/14-09-2005 को विधिवत करायी गयी। विज्ञप्ति धारा-6(1)/17 की समस्त औपचारिकताये पूर्ण करने के उपरान्त भूमि अध्याप्ति अधिनियम 9(1)(2)(3) के सामान्य / विशेष नोटिस प्रभावित भूस्वामियों को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु जारी किये गये। नियत दिनांक पर आपत्तियां प्रस्तुत की गयी। जिनका विवरण एवं निस्तारण घोषित अभिनिर्णय दिनांक 28.01.2015 में उल्लिखित किया गया है। घोषित अभिनिर्णय दिनांक 28.01.2015 का यह अभिनिर्णय अंग रहेगा।

धारा-9 की सुनवाई के उपरान्त अधिग्रहण की धारा-17 के अनुसार विभाग को कब्जा हस्तान्तरित कराये जाने हेतु समस्त भू स्वामियों को भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 17 (3) (3-अ) के अन्तर्गत 80 प्रतिशत अग्रिम टेण्डर भुगतान प्राप्त करने एवं भूमि पर से कब्जा छोड़े जाने हेतु नोटिस निर्गत किये गये। नियत दिनांक पर भू-स्वामियों ने अपना 80 प्रतिशत टेण्डर भुगतान प्राप्त कर लिया। जो भूस्वामी भुगतान प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुये उनके देयको पर नियमानुसार राजस्व जमा लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराते हुए बरेली विकास प्राधिकरण बरेली को अर्जित भूमि पर कब्जा हस्तान्तरण किया गया। उक्त कार्यवाही के साथ-साथ प्रभावित भूस्वामियों को उनकी अधिग्रहीत की गयी भूमि जिसपर कब्जा प्राप्त कर लिया गया था पर भू-स्वामियों का नाम खारिज करते हुये बरेली विकास प्राधिकरण बरेली का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा दिया गया।

अर्जन से प्रभावित भूमि का अभिनिर्णय (प्रतिकर निर्धारण) लेने से पूर्व अवधारणा और अभिनिर्णय की घोषणा) नियमावली 1997 में तदनुसार भू-स्वामियों से उत्तर प्रदेश भूमि अर्जन (करार द्वारा प्रतिकर की तातक्षणों

ग्राम- अहरीला का करार से अवशेष क्षेत्रफल का भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 के अन्तर्गत अभिनिर्णय की तैयारी प्रारम्भ की गयी। इसी मध्य भारत सरकार द्वारा भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894(संशोधित अधिनियम 1984) निरसित कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा नया अधिनियम 2013 लागू किया गया। जो उत्तर प्रदेश सरकार में दिनांक 01.01.2014 से प्रभावी किया गया है। नये अधिनियम 2014 के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-13 लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-45/एक-13-2014-7क(4)14 टीसी दिनांक 14. मार्च 2014 दिनांक के अन्तर्गत भूमि अर्जन पुनर्वासन, और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-24(1)(क) के सम्बन्ध में स्पष्ट करते हुये शासनादेश के विन्दु संख्या-2 में उल्लिखित किया गया है कि भू-अर्जन के ऐसे प्रकरण जिनमें भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 की अधिसूचना जारी हो गयी उनमें 1894 के अधिनियम के अनुसार विहित प्रक्रिया द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही पूरी की जायेगी किन्तु प्रतिकर का अवधारण नये अधिनियम 2013 की (धारा-26 से 30सपठित प्रथम अनुसूची) के प्रावधानों से किया जायेगा और ऐसे मामलों में प्रदेश में पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन शासनादेश दिनांक 17.08.2010, 03.09.2010 एवं 02.06.2011 द्वारा लाभ दिये जायें तथा प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-539/8-3-14-31 विविध/14 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 24, मार्च, 2014 के अन्तर्गत पृष्ठ संख्या-2 के प्रस्ताव-ए के विन्दु क एवं ख में उल्लिखित किया गया है कि जहाँ उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-11 के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं किया गया है वहाँ इस अधिनियम के प्रतिकर का अवधारण किये जाने से सम्बन्धित सभी उपबन्ध लागू होंगे।

नये अधिनियम 2013 के अनुपालन में कुल अर्जित क्षेत्रफल 11.618 हेक्टर, भूमि में से 3.0255 हेक्टर भूमि के करार निष्पादित होने के बाद 4.5785 हेक्टर भूमि के घोषित अभिनिर्णय दिनांक 28.01.2015 के बाद 4.016 हेक्टर भूमि अवशेष बचती है। करार निष्पादन होने एवं घोषित अभिनिर्णय दिनांक 28.01.2015 के बाद अवशेष बची भूमि 4.016 हेक्टर भूमि का अभिनिर्णय घोषित करने हेतु उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण बरेली ने अपने पत्र संख्या-6787/का0वि0प्रा0/2015-16 दिनांक 04.02.2016 के द्वारा निर्देश दिये हैं कि रामगंगानगर आवासीय योजना में विभिन्न रिट याचिकाओं में किसानों द्वारा दायर की गयी रिट याचिकाओं एवं उनके वर्तमान में प्रभावी स्थगन आदेशों का विवरण तथा स्थगन आदेशों के अनुसार स्थल पर भूमि का कब्जा यथा स्थिति बनाये रखे जाना है। उक्त स्थगन आदेश में भूमि का अभिनिर्णय घोषित किये जाने पर कोई रोक नहीं है। भूमि का विवरण निम्नवत है:-

| क्रम संख्या | ग्राम का नाम        | क्षेत्रफल (हेक्टर में) |
|-------------|---------------------|------------------------|
| 1-          | चन्दपुर विघपुरी     | 19.8137                |
| 2-          | डोहरिया             | 34.0388                |
| 3-          | मोहनपुर उर्फ रामनगर | 0.097                  |
| 4-          | अहरीला              | 4.937                  |
|             | कुल योग-            | 58.8865                |

पूर्व में घोषित अभिनिर्णय में उक्त भूमि का अभिनिर्णय घोषित नहीं किया गया है। श्री प्रताप सिंह व श्री श्यामाचरण द्वारा दिये गये पत्र के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा अपने अधिवक्ता श्री अरुण कुमार से विधिक राय प्राप्त की गयी है जिसके अनुसार विभिन्न रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेशों में अभिनिर्णय घोषित किये जाने हेतु कोई विधिक बाधा नहीं है तथा अभिनिर्णय घोषित किया जा सकता है। इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय के कैम्प कार्यालय पर बरेली विकास प्राधिकरण बरेली के अधिकारियों के साथ दिनांक 19.02.2015 को बैठक आहूत की गयी। आहूत बैठक में भी निर्देश दिये गये कि रिट याचिकाओं से प्रभावित भूमि का अभिनिर्णय घोषित किया जाये। उपाध्यक्ष बरेली विकास प्राधिकरण बरेली के पत्र दिनांक 04.02.2016 एवं बैठक दिनांक 19.02.2016 में दिये निर्देशों के अनुपालन में करार एवं घोषित अभिनिर्णय दिनांक 28.01.2015 से अवशेष बची भूमि 4.016 हेक्टर में से 0.342 हेक्टर भूमि कब्जा रहित होने के कारण अभिनिर्णय से विरत करते हुये 3.672 हेक्टर भूमि का अनुपूरक अभिनिर्णय घोषित किया जायेगा। ग्राम-अहरीला का अनुपूरक अभिनिर्णय हेतु 3.672 हेक्टर भूमि के प्रतिकर की दरों के निर्धारण हेतु नये अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत ग्राम-अहरीला से सम्बन्धित भूमि अर्जन प्रस्ताव में भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (संशोधित-

■ अधिनियम 1984) की विज्ञापित धारा-4(1)/17 के प्रकाशित गजट दिनांक 03-06-2004 के प्रकाशन से 3 वर्ष पूर्व की अवधि में निष्पादित हुये विक्रयपत्रों का संकलन उप निबन्धक कार्यालय बरेली से भूमि अर्जन अमीन के द्वारा कराया गया था। जिनका सत्यापन उप निबन्धक द्वारा किया गया है।

उक्त अवधि में ग्राम अहरीला में कुल 08 विक्रयपत्र निष्पादित होने की आख्या भूमि अर्जन अमीन द्वारा प्रस्तुत की गयी। जो अनुसूची-2 के रूप में पत्रावली में संलग्न है। जिन्हे लाल रोशनाई से यथा स्थान दर्शाया गया है। अर्जित भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के अनुसार पाया गया कि अनुसूची-2 के क्रमांक-01 पर अंकित विक्रयपत्र अर्जित भूमि से लगभग 01 किलोमीटर दूर व दूसरे ग्राम की सीमा पर है जिसकी दर अंकन 36.62 पैसे प्रतिवर्गमीटर है जो बहुत कम दर का विक्रयपत्र है तथा बाजारी भाव सही सही नहीं प्रदर्शित करती है। जो विचार किये जाने योग्य नहीं है इस कारण इसे निरस्त करता हूँ। अनुसूची-2 के क्रमांक-2 पर अंकित विक्रयपत्र अर्जित भूमि का है तथा यह विक्रयपत्र आवादी बनाने के उद्देश्य से कय किया गया है। जबकि अर्जित भूमि कृषि भूमि है कृषि भूमि के दृष्टिकोण से इस विक्रयपत्र की दरे बहुत अधिक है जो निसाली विक्रयपत्र के रूप में चयन किया जाना उचित नहीं है। इस कारण इस विक्रयपत्र को निरस्त किया जाता है। अनुसूची-2 के क्रमांक 3 पर अंकित विक्रयपत्र अर्जित भूमि से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो कम दर का विक्रयपत्र है। जो अर्जित भूमि की भावनिक क्षमता नहीं रखता है जिसे निसाली विक्रयपत्र के रूप में चयन किया जाना उचित नहीं है तथा यह विक्रयपत्र निरस्त किया जाता है। अनुसूची-2 के क्रमांक-5, 6 पर अंकित विक्रयपत्र अर्जित भूमि से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा इनकी दरे बहुत कम है जिनमे से अर्जित भूमि के मूल्यांकन हेतु विक्रयपत्र का चयन किया जाना उचित नहीं है। इस कारण इन विक्रयपत्रों को निरस्त किया जाता है। अनुसूची-2 के क्रमांक-7 पर अंकित विक्रयपत्र अर्जित भूमि का है जो बहुत कम क्षेत्रफल का निष्पादित किया गया है जिसकी दरे व्यवसायिक व औद्योगिक दर की दरे है जिस कारण इस विक्रयपत्र पर विचार किया जाना उचित एवं न्यायसंगत नहीं है। दूरी एवं दर के अवगुण के कारण उक्त विक्रयपत्र की दर अर्जित भूमि के प्रतिकर के मूल्यांकन हेतु उचित नहीं होने के कारण स्वीकार नहीं किया जाता है तथा निरस्त किया जाता है। अब मेरे समक्ष केवल अनुसूची-2 के क्रमांक 04 पर अंकित विक्रयपत्र विचारार्थ शेष रह जाता है। यह विक्रयपत्र दिनांक 30.03.2003 को श्रीमती नत्थो देवी पत्नी हरप्रसाद निवासी गौटिया रामनगर के द्वारा श्री धर्मपाल पुत्र श्री ठाकुर दास निवासी जगतपुर निकट सरकारी अस्पताल बरेली के हक में गाटा संख्या-16/ 0.431 हेक्टर का 7/17 भाग का विक्रय किया गया है। जिसकी किस्म जमीन भूड अब्बल खाकी है तथा परता रेट 7.15पैसे है जो अंकन 1,78,000-00 रूपये में विक्रय किया गया है। जिसकी दर अंकन- 100.30 पैसे प्रति वर्गमीटर आती है। यह विक्रयपत्र अर्जित भूमि के समान उपयोगिता रखता है और सही सही बाजारू मूल्य भी दर्शाता है। अर्जित भूमि कृषि भूमि है। इस विक्रयपत्र को अर्जित भूमि के समीप होने एवं समान उपादेयता शक्ति रखने के फलस्वरूप उचित समझते हुये अर्जित भूमि के मूल्यांकन हेतु प्रतिनिधि विक्रयपत्र के रूप में चयन किया जाता है। जिसके अनुसार करार एवं घोषित अभिनिर्णय से अवशेष गाटा संख्या- 162/0.905, 138/0.772, 164/0.095, 166/0.372, 175/0.534, 171क/3.021, 177/0.373, 181/0.600 कुल- 3.672 हेक्टर अर्जित भूमि का प्रतिकर निम्न प्रकार प्रगणित होता है।

तालिका

| क.सं. | अर्जित क्षेत्रफल हेक्टर में  | दर प्रति वर्गमीटर | प्रतिकर         |
|-------|--|-------------------|-----------------|
| 1     | 2  | 3                 | 4               |
| 1     | 3.672 हेक्टर अर्थात 36720 वर्गमीटर                                 | 100.30            | 36,83,016-00    |
| 2     | प्रतिकर का दो गुना   | -                 | 73,66,032-00    |
| 3-    | सम्पत्ति   | -                 | 5,000-00        |
| 4-    | कालम व 3 का योग-   | -                 | 73,71,032-00    |
| 5-    | 100 प्रतिशत सोलेशियम   | -                 | 73,71,032-00    |
| 6-    | 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर धारा 4 के दिनांक से कच्चे के दिनांक तक | -                 | 7,19,735-84     |
| 7-    | 4+5+6 का योग-  | -                 | 14,54,61,799-84 |

5

ग्राम अहरीला के अधिग्रहण से प्रभावित गाटा संख्या-181 /0.265, 183/0.064, 184/0.013 कुल 0.342 हेक्टर भूमि पर अर्जन निकाय बरेली विकास प्राधिकरण बरेली द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है इस कारण इस क्षेत्रफल को अभिनिर्णय में सम्मिलित नहीं किया गया है जिसके सम्बन्ध में निर्णय बाद में लिया जायेगा।

इस प्रकार ग्राम- अहरीला की अर्जित भूमि में से माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिकाओं से प्रभावित क्षेत्रफल 3.672 हेक्टर भूमि जिसपर बरेली विकास प्राधिकरण बरेली को कब्जा दिया जा चुका है, का अभिनिर्णय घोषित किया जायेगा। अभिनिर्णय हेतु कुल क्षेत्रफल 3.672 हेक्टर अर्जित भूमि का प्रतिकर अंकन-36,83,016-00 रुपये जिसका दो गुना अंकन-73,66,032-00 रुपये, सम्पत्ति का मूल्य अंकन-5,000-00 रुपये कुल अंकन-73,71,032-00 रुपये होता है तथा उसपर 100 प्रतिशत सोलेशियम अंकन-73,71,032-00 रुपये तथा 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर अंकन- 7,19,735-84 पैसे आता है। जिसका कुल प्रतिकर अंकन-1,54,61,799-84 पैसे प्रगणित होता है। यह अनुपूरक अभिनिर्णय माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अधीन होगा।

अर्जित भूमि पर दिनांक 30 अक्टूबर 2013 तक नियमानुसार व्याज देय होने का कारण है। भूमि अर्जन से प्रभावित भूस्वामियों को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अन्तर्गत देय धनराशि का मुमाना नये अभिनियम 2013 के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत धनराशि नियमानुसार देय होगी। जिसका विवरण प्रपत्र संख्या-11 में उल्लिखित किया जायेगा, तथा उक्त के अतिरिक्त भूमि अध्याप्ति व्यय के रूप में नियमानुसार 10 प्रतिशत धनराशि अर्जन निकाय से प्राप्त कर निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करायी जायेगी।

प्रकरण में नियमानुसार पूंजीकृत मूल्य की धनराशि लगान का 40 गुना अर्जन निकाय से प्राप्त कर निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करायी जायेगी। यह अनुपूरक अभिनिर्णय ग्राम-अहरीला के घोषित अभिनिर्णय का अंग होगा।

जिलाधिकारी बरेली द्वारा दर एवं धनराशि की स्वीकृति दिनांक 12.04.2016 के उपरान्त उक्त अनुपूरक अभिनिर्णय कृषक एवं ग्राम लेखपाल तथा अर्जन निकाय के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आज दिनांक 22.04.2016 को खुले न्यायालय में घोषित किया जाता है।

दिनांक 22.04.2016

N  
22/4/16

(मनीष कुमार नाहर)  
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,  
(सयुक्त-संगठन) बरेली।

घोषित अनुपूरक अभिनिर्णय

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 1-  | वाद संख्या-  | आठ-11/01/02, सन् 2004  |
| 2-  | जिला/तहसील/परगना-  | बरेली/बरेली/बरेली  |
| 3-  | ग्राम का नाम-  | अहरौला   |
| 4-  | अर्जन निकाय का नाम-  | उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण बरेली                           |
| 5-  | अर्जन का प्रयोजन-  | रामगंगानगर आवासीय योजना फेज-2 के निर्माण हेतु                    |
| 6-  | क्या भूमि जमींदारी विनाश क्षेत्र में है-   | हाँ  |
| 7-  | क्या प्रस्ताव में धारा-17 के प्रावधान लागू है-   | हाँ  |
| 8-  | धारा 4(1)/17 की विज्ञप्ति संख्या/दिनांक-   | संख्या-608/9-आठ-3-2004-49एल.ए. 2003 लखनऊ दिनांक 03.06.2004       |
| 9-  | धारा 4(1)/17 की विज्ञप्ति का राजकीय गजट में प्रकाशन का दिनांक-                                     | दिनांक 03.06.2004  |
| 10- | धारा 4(1)/17 की विज्ञप्ति का राजकीय गजट का दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन का दिनांक-         | 1-दैनिक जागरण दिनांक 07.07.2004<br>2-अमर उजाला दिनांक 07.07.2004 |
| 11- | धारा 4(1)/17 की विज्ञप्ति का शुद्धि पत्र के गजट का दिनांक-   | दिनांक 23.12.2004  |
| 12- | धारा 4(1)/17 की विज्ञप्ति का शुद्धि पत्र के गजट का दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन का दिनांक- | 1-दैनिक जागरण दिनांक 20.01.2005<br>2-अमर उजाला दिनांक 20.01.2005 |
| 13- | धारा 4(1)/17 की विज्ञप्ति के नोटिस का दिनांक-  | 22.02.2005   |
| 14- | धारा 6(1)/17 की विज्ञप्ति संख्या/दिनांक-   | संख्या-2168/8-3-2005-49एल.ए.2003 लखनऊ दिनांक 04.07.2005          |
| 15- | धारा 6(1)/17 की विज्ञप्ति का राजकीय गजट में प्रकाशन का दिनांक-                                     | दिनांक 04.07.2005  |
| 16- | धारा 6(1)/17 की विज्ञप्ति का राजकीय गजट का दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन का दिनांक-         | 1-अमर उजाला दिनांक 22.08.2005<br>2-रोटीराम दिनांक 22.08.2005     |
| 17- | धारा 6(1)/17 की विज्ञप्ति की सर्वसाधारण सूचना/मुनादी का दिनांक-                                    | 13/14.09.2005  |
| 18- | कब्जे का दिनांक-   | 20.02.2017   |
| 19- | अभिनिर्णय का दिनांक-   | 22 दिसम्बर, 2020   |
| 20- | अनुमानित प्रतिकर-  | बजट में प्रावधानिक है  |
| 21- | कुल अर्जित क्षेत्रफल-  | 11.618 हेक्टर  |
| 22- | करार के अन्तर्गत घोषित अभिनिर्णयों का क्षेत्रफल-   | 3.0255 हेक्टर  |
| 23- | पूर्व में घोषित अभिनिर्णय का क्षेत्रफल-  | 8.2505 हेक्टर  |
| 24- | कब्जा रहित क्षेत्रफल   | शून्य  |
| 25- | अभिनिर्णय का क्षेत्रफल-  | 0.3420 हेक्टर  |
| 26- | अनुमानित प्रतिकर-  | बाजारू दर पर   |
| 27- | निर्धारित प्रतिकर-   | बाजारू दर पर   |

|     |  |                     |
|-----|--|---------------------|
| 30- | योग (28+29)-   | 2956028.00          |
| 31- | 100 प्रतिशत सोलेशियम   | 2956028.00          |
| 32- | 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर धारा 4 के गजट के प्रकाशन के दिनांक से कब्जे की दिनांक तक | 300773              |
| 33- | योग (30+31+32)-  | 6212829.00          |
| 34- | भूमि अर्जन व्यय-   | नियमानुसार देय होगा |
| 35- | पूजीकृत मूल्य-   | नियमानुसार देय होगा |

जनपद बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण बरेली द्वारा रामगंगानगर आवासीय योजना फेज-2 के निर्माण हेतु ग्राम चन्दपुर विचपुरी का क्षेत्रफल 130-017597 हेक्टेयर, ग्राम डोहरिया का क्षेत्रफल 87-542 हेक्टेयर, ग्राम मोहनपुर उर्फ रामनगर का क्षेत्रफल 30-184 हेक्टेयर तथा ग्राम अहिरौला का क्षेत्रफल 11-618 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण का प्रस्ताव, अर्जन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव की प्रारम्भिक जांच भूमि अर्जन अमीन से करायी गयी। जांचोपरांत प्रस्ताव सही पाये जाने पर भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 (संशोधित अधिनियम 1984) की धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति जारी/प्रकाशित कराने हेतु निदेशक भूमि अध्याप्ति निदेशालय राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से शासन के सम्बन्धित विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया गया। जिसमें उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ द्वारा अधिसूचना संख्या-608/9-आ0-3-2004-49एल.ए. 2003 लखनऊ दिनांक 03.06.2004 को जारी की गयी जिसका प्रकाशन असाधारण गजट में दिनांक 03.06.2004 को हुआ। तदोपरान्त नियमानुसार दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों क्रमशः दैनिक जागरण दिनांक 07.07.2004, अमर उजाला में दिनांक 07.07.2004 को उक्त विज्ञप्ति का गजट का प्रकाशन कराया गया। विज्ञप्ति के प्रकाशन उपरांत अधिग्रहण की सूचना प्रभावित कृषकों को सार्वजनिक सूचना/मुनादी दिनांक 22.02.2005 के माध्यम से करायी गयी। विज्ञप्ति धारा-4(1)/17 की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरांत प्रस्ताव भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 (संशोधित अधिनियम 1984) की धारा-6(1)/17 की विज्ञप्ति जारी/प्रकाशित कराने हेतु पुनः निदेशक भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से शासन के सम्बन्धित विभाग को प्रेषित किया गया। जिस पर शासन द्वारा विज्ञप्ति धारा-6(1)/17 की अधिसूचना संख्या 2168/8-3-2005-49एल.ए.2003 लखनऊ दिनांक 04.07.2005 को जारी की गयी जिसका आसाधारण राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 04.07.2005 को हुआ तथा नियमानुसार दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों क्रमशः दैनिक अमर उजाला में दिनांक 22.08.2005, दैनिक रोटी राम में दिनांक 22.08.2005 को उक्त विज्ञप्ति का गजट का प्रकाशन कराया गया तथा जिसकी सार्वजनिक सूचना/मुनादी दिनांक 13/14-09-2005 को विधिवत करायी गयी। विज्ञप्ति धारा-6(1)/17 की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरांत भूमि अध्याप्ति अधिनियम 9(1)(2)(3) के सामान्य/विशेष नोटिस द्वारा प्रभावित भूस्वामियों को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु जारी किये गये। नियत दिनांक पर आपत्तियां प्राप्त की गयी। जिनका विवरण एवं निस्तारण घोषित अभिनिर्णय दिनांक 28.01.2015 में उल्लिखित किया गया है। घोषित अभिनिर्णय दिनांक 28.01.2015 व 22.04.2016 का यह अंग रहेगा।

धारा-9 की सुनवाई के उपरांत अधिग्रहण की धारा-17 के अनुसार विभाग को कब्जा हस्तान्तरित कराये जाने हेतु समस्त भूस्वामियों को भूमि अध्यापित अधिनियम की धारा-17(3) (3-अ) के अन्तर्गत 80 प्रतिशत अग्रिम टेण्डर भुगतान प्राप्त करने एवं भूमि पर से कब्जा छोड़े जाने हेतु नोटिस निर्गत किये गये। नियत दिनांक पर भूस्वामियों ने अपना 80 प्रतिशत टेण्डर भुगतान प्राप्त कर लिया गया। जो भूस्वामी भुगतान प्राप्त करने हेतु उपस्थित

कार्यवाही के साथ-साथ प्रभावित भूस्वामियों को उनकी अधिग्रहीत की गयी भूमि जिस पर कब्जा प्राप्त कर लिया गया था पर भूस्वामियों का नाम खारिज करते हुये बरेली विकास प्राधिकरण बरेली का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा दिया गया।

अर्जन से प्रभावित भूमि का अन्तिम निर्णय (प्रतिकर निर्धारण) लेने से पूर्व शासन नीति अनुसार भूस्वामियों से उत्तर प्रदेश भूमि अर्जन (करार द्वारा प्रतिकर की अवधारणा और अभिनिर्णय की घोषणा) नियमावली 1997 एवं शासनादेश में दी गयी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत जिला स्तरीय दर निर्धारण कमेटी द्वारा निर्धारित दर के आधार पर करार नियमावली के अन्तर्गत अभिनिर्णय घोषित कर प्रतिकर वितरण किया जा चुका है। ग्राम अहरौला का करार से अवशेष क्षेत्रफल का भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 के अन्तर्गत अभिनिर्णय की तैयारी प्रारम्भ की गयी। इसी मध्य भारत सरकार द्वारा भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 (संशोधित अधिनियम 1984) निरसित कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा नया भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागू किया गया जो उत्तर प्रदेश सरकार में दिनांक 01.01.2014 से प्रभावी किया गया है। नये भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-13 लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-45/एक-13-2014-7क(4)14 टीसी दिनांक 14 मार्च 2014 के अन्तर्गत भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-24(1)(क) के सम्बन्ध में स्पष्ट करते हुये शासनादेश के बिन्दु संख्या-2 में उल्लिखित किया गया है कि भूमि अर्जन के ऐसे प्रकरण जिनमें भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 की अधिसूचना जारी हो गयी उनमें 1894 के अधिनियम के अनुसार विहित प्रक्रिया द्वारा भूमि अर्जन की कार्यवाही पूरी की जायेगी किन्तु प्रतिकर का अवधारण नये अधिनियम 2013 की धारा-26 से 30 सपठित प्रथम अनुसूची के प्रावधानों से किया जायेगा और ऐसे मामलों में प्रदेश में पुनर्वासन, पुनर्व्यस्थापन शासनादेश दिनांक 17.08.2010, 03.09.2010 एवं 02.06.2011 द्वारा लाभ दिये जायें तथा प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-539/8-3-14-31 विविध/14 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 24 मार्च, 2014 के अन्तर्गत पृष्ठ संख्या-2 के प्रस्तर-ए के बिन्दु क एवं ख में उल्लिखित किया गया है कि जहां उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-11 के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं किया गया है वहां इस अधिनियम के प्रतिकर का अवधारण किये जाने से सम्बन्धित सभी उपबन्ध लागू होंगे।

नये भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुपालन में कुल अर्जित क्षेत्रफल 11.618 हेक्टर भूमि में से 3.0255 हेक्टर भूमि के करार निष्पादित होने के बाद 4.5785 हेक्टर भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 28.01.2015 को घोषित किया गया है तथा 3.672 हे० भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 22.04.2016 को घोषित किये जाने के उपरान्त 0.342 हे० भूमि का अभिनिर्णय घोषित किया जाना है।

उपाध्यक्ष बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली द्वारा अपने पत्र संख्या-1851 दिनांक 28.07.2020 के द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम अहरौला व डोहरिया के अधिग्रहण से प्रभावित कुछ गाटा संख्याओं पर मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण अभिनिर्णय में सम्मिलित नहीं किया गया है। जिसके कारण विकास कार्यो पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अतः अधिग्रहण से प्रभावित ग्राम चन्दपुर बिचपुरी, डोहरिया, मोहनपुर उर्फ रामनगर व अहरौला के अभिनिर्णयों में छोड़ी गयी गाटा संख्याओं को सम्मिलित करते हुये पुनः अभिनिर्णय घोषित कर प्राधिकरण को कब्जा प्रदान किया जाये।

पूर्व में घोषित अभिनिर्णय में उक्त भूमि का अभिनिर्णय घोषित नहीं किया गया है। ग्राम अहरौला का अनुपूरक अभिनिर्णय हेतु 0.342 हेक्टर भूमि के प्रतिकर की दरों के

प्रस्ताव में भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 (संशोधित अधिनियम 1984) की विज्ञप्ति धारा-4(1)/17 के प्रकाशित गजट दिनांक 03.06.2004 के प्रकाशन से 3 वर्ष पूर्व की अवधि में निष्पादित हुये विक्रयपत्रों का संकलन उप निबन्धक कार्यालय बरेली से भूमि अर्जन अमीन के द्वारा कराया गया था। जिसका सत्यापन उपनिबन्धक द्वारा किया गया था।

उक्त अवधि में ग्राम अहरीला में कुल 08 विक्रयपत्र निष्पादित होने की आख्या भूमि अर्जन अमीन द्वारा प्रस्तुत की गयी। जो अनुसूची-2 के रूप में पत्रावली में संलग्न है। जिन्हें लाल रेशनाई से यथा स्थान दर्शाया गया है। अर्जित भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के अनुसार पाया गया कि अनुसूची-2 के क्रमांक-01 पर अंकित विक्रयपत्र अर्जित भूमि से लगभग 01 किलोमीटर दूर व दूसरे ग्राम की सीमा पर है जिसकी दर अंकन 36.62 पैसे प्रतिवर्गमीटर है जो बहुत कम दर का विक्रयपत्र है तथा बाजारु भाव सही सही नहीं प्रदर्शित करता है। जो विचार किये जाने योग्य नहीं है तथा इस कारण इसे निरस्त करता हूँ। अनुसूची-2 के क्रमांक-02 पर अंकित विक्रयपत्र अर्जित भूमि का है तथा यह विक्रय पत्र आबादी बनाने के उद्देश्य से कय किया गया है। इस कारण इस विक्रयपत्र को निरस्त किया जाता है। अनुसूची-2 के क्रमांक-03 पर अंकित विक्रयपत्र अर्जित भूमि से लगभग 1 किमी की दूरी पर स्थित है जो कम दर का विक्रयपत्र है। जो अर्जित भूमि की भावनिक क्षमता नहीं रखता है। जिसे मिसाली विक्रयपत्र के रूप में चयन किया जाना उचित नहीं है तथा यह विक्रयपत्र निरस्त किया जाता है। अनुसूची-2 के क्रमांक-05,06,08 पर अंकित विक्रयपत्र अर्जित भूमि से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा इनकी दरें बहुत कम है जिनमें से अर्जित भूमि के मूल्यांकन हेतु विक्रयपत्र का चयन किया जाना उचित नहीं है। इस कारण इन विक्रय पत्रों को निरस्त किया जाता है। अनुसूची-2 के क्रमांक-07 पर अंकित विक्रयपत्र अर्जित भूमि का है जो बहुत कम क्षेत्रफल का निष्पादित किया गया है। जिसकी दरे व्यवसायिक व औद्योगिक दर की दरें है जिस कारण इस विक्रय पत्र पर विचार किया जाना उचित एवं न्यायसंगत नहीं है। दूरी एवं दर के अवगुण के कारण उक्त विक्रय पत्र की दर अर्जित भूमि के प्रतिकर के मूल्यांकन हेतु उचित नहीं होने के कारण स्वीकार नहीं किया जाता है तथा निरस्त किया जाता है। अब मेरे समक्ष केवल अनुसूची-2 के क्रमांक 04 पर अंकित विक्रयपत्र विचारार्थ शेष रह जाता है। यह विक्रयपत्र दिनांक 30.03.2003 को श्रीमती नत्थो देवी पत्नी हरप्रसाद निवासी गौटिया रामनगर के द्वारा श्री धर्मपाल पुत्र श्री ठाकुरदास निवासी जगतपुर निकट सरकारी अस्पताल बरेली के हक में गाटा संख्या-16/0.431 हेक्टर का 7/17 भाग का विक्रय किया गया है। जिसकी किस्म जमीन भूड अब्बल खाकी है तथा परता रेट 7.15 पैसे है जो अंकन 1,78,000/- रुपये में विक्रय किया गया है। जिसकी दर अंकन -100.30 पैसे प्रतिवर्गमीटर आती है। यह विक्रयपत्र अर्जित भूमि के समान उपयोगिता रखता है और सही सही बाजारु मूल्य भी दर्शाता है। अर्जित भूमि कृषि भूमि है। इस विक्रय पत्र को अर्जित भूमि के समीप होने एवं समान उपदेयता शक्ति रखने के फलस्वरूप उचित समझते हुये अर्जित भूमि के मूल्यांकन हेतु प्रतिनिधि विक्रयपत्र के रूप में चयन किया जाता है। जिसके अनुसार करार एवं घोषित अभिनिर्णय से अवशेष गाटा संख्या-181/0.265 हेक्टर, 183/0.064 हेक्टर, 184/0.013 हेक्टर कुल 3 किता रकवा 0.342 हेक्टर अर्जित भूमि का प्रतिकर निम्न प्रकार प्रगणित होता है।

तालिका

| क्र.सं. | अर्जित क्षेत्रफल हेक्टर में                | दर प्रति वर्गमीटर | प्रतिकर   |
|---------|--|-------------------|-----------|
| 1       | 2  | 3                 | 4         |
| 1-      | अधिनियम की धारा-26 के अनुसार बाजारु मूल्य- | 100.30            | 343026.00 |
| 2-      | प्रतिकर का दो गुना                         |                   | 686052.00 |

|    |   |            |
|----|---|------------|
| 5- | 100 प्रतिशत सोलेशियम  | 2956028.00 |
| 6- | 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर धारा 4 के प्रकाशन के दिनांक से कब्जे की दिनांक तक | 300773.00  |
| 7- | कॉलम 4, 5, 6 का योग   | 6212829.00 |

अर्जित भूमि पर कब्जे के दिनांक से प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत व उसके उपरान्त अभिनिर्णय के दिनांक तक 15 प्रतिशत ब्याज नियमानुसार ब्याज देय होगा तथा उक्त योजना हेतु भूमि अर्जन से प्रभावित भूस्वामियों को पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति के अन्तर्गत देय धनराशि का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा। जिसका विवरण प्रपत्र संख्या-11 में उल्लिखित किया जायेगा तथा उक्त के अतिरिक्त भूमि अध्याप्ति व्यय के रूप में नियमानुसार 10 प्रतिशत धनराशि अर्जन निकाय से प्राप्त कर निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करायी जायेगी।

उक्त अभिनिर्णय में निहित पूंजीकृत मूल्य की धनराशि लगान का 40 गुना अर्जन निकाय से प्राप्त कर निर्धारित लेखा शीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी। यह अनुपूरक अभिनिर्णय ग्राम अहरौला के पूर्व घोषित अभिनिर्णय दिनांक 28.01.2015 व दिनांक 22.04.2016 का अंग होगा। अतः उपरोक्त अनुपूरक अभिनिर्णय प्रभावित कृषकों एवं अर्जन निकाय के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित, दिनांकित किया जाता है।

(मदन कुमार) 22  
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी  
(संयुक्त-संगठन) बरेली 2020



|  |                        |                |  |
|--|------------------------|----------------|--|
| रामगंगा नगर अवसारीय योजना / फेस II बरेली विकास प्रा0 बरेली / | 179                    | 0.2880         | 1423प्र0 सचिव बरेली विकास प्राधिकरण कोलीपत्रक7846/ का0म0मि0प्र0-2016 दि019.3.16केअनुसार अद्वैत तहसीलदार सदरबरेलीदि2021.3.16को अद्वैत हउअ कि बरेलीविकासप्राधिकरणद्वाराजब नेशनल बैंकयाडवाइजनुसार कोली से रामगंगा अवसारीय |
|  | 9मि                    | 0.2340         |  |
|  | 162मि                  | 0.9050         |  |
|  | 164                    | 0.0950         |  |
|  | 170                    | 0.7140         |  |
|  | 172                    | 0.4970         |  |
|  | 169                    | 0.2100         |  |
|  | 10मि                   | 0.0050         |  |
|  | 174                    | 0.2400         |  |
|  | 138                    | 0.7720         |  |
|  | 168                    | 0.3720         |  |
|  | 175                    | 0.5340         |  |
|  | 171क <del>0.0210</del> | 0.0210         |  |
|  | 165                    | 0.9510         |  |
|  | 136मि                  | 0.3000         |  |
|  | 2मि                    | 0.5400         |  |
|  | 167                    | 0.2100         |  |
|  | 4                      | 1.3690         |  |
|  | 177                    | 0.3730         |  |
|  | 5                      | 0.3470         |  |
|  | 6क                     | 0.2020         |  |
|  | 7                      | 0.3920         |  |
|  | 180                    | 0.2880         |  |
|  | 1                      | 0.7120         |  |
|  | 168                    | 0.1050         |  |
| <b>योग</b>   | <b>25</b>              | <b>10.6760</b> |  |



**BHULEKH**  
Uttar Pradesh



### खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

|  |                |                 |            |  |         |                     |
|--|----------------|-----------------|------------|--|---------|---------------------|
| ग्राम का नाम : अहरोला                                  | परामा : (बोली) | तहसील : बोली    | जगद : बोली | फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027) | भाग : 1 | खाता संख्या : 00124 |
| खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | खसरा संख्या    | क्षेत्रफल (हे.) | अंश        | टिप्पणी  |         |                     |
| श्रेणी : 6-1 / अद्वैतिक भूमि - जलमन भूमि ।             |                |                 |            |  |         |                     |
| नाली / /   | 109            | 0.0420          |            |  |         |                     |
|  | 127            | 0.0180          |            |  |         |                     |
|  | 137            | 0.0510          |            |  |         |                     |
|  | 140            | 0.0570          |            |  |         |                     |
|  | 1719           | 0.0220          |            |  |         |                     |
| योग  | 5              | 0.1900          |            |  |         |                     |



कृपया एक छतरे की प्रस्थिति (स्टैंड (गाटा) के बाद फसल/विकल्प/अनुपयोग/नामकरण बंधी) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें  
Disclaimer: एक ऑनलाइन खाता विवरण प्रणाली है, उक्त विवरण अंशदाता है, इस विवरण का उपयोग केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।  
Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

### खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

|  |                |              |             |  |            |                     |
|--|----------------|--------------|-------------|--|------------|---------------------|
| ग्राम का नाम : अहोला   | परगना : (बोली) | तहसील : बोली | जनपद : बोली | फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027) | भाग : 1    | खाता संख्या : 00127 |
| खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान   |                | खसरा संख्या  | खेसफत (हे.) | अंश  | रिजिस्ट्री |                     |
| श्रेणी : G-2 / अकृषिक भूमि - स्वतः, मडकें, रेलवे, भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषिक उपयोगों के काम में लायी जाती हों। |                |              |             |  |            |                     |
| रसता //  |                | 8            | 0.8150      |  |            |                     |
|  |                | 27           | 0.3140      |  |            |                     |
|  |                | 42           | 0.0190      |  |            |                     |
|  |                | 45           | 0.0380      |  |            |                     |
|  |                | 53           | 0.3160      |  |            |                     |
|  |                | 178          | 0.1070      |  |            |                     |
|  |                | 182          | 0.0310      |  |            |                     |
|  |                | 192          | 0.1770      |  |            |                     |
|  |                | 199          | 0.0950      |  |            |                     |
|  |                | 121          | 0.3600      |  |            |                     |
|  |                | 205          | 0.3220      |  |            |                     |
| योग  |                | 11           | 2.5940      |  |            |                     |

कृपया इस खसरे की प्रकृति (खंड (गाटा) के बाद गलत/विकृत/अन्यथा/गलत/गलत) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: एक ऑनलाइन आर्काइव है, जो विकसित भारत है, सर्वोच्च कानून केन्द्र में उद्योग की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.





1423प0 सचिव कोली विकास प्रधिकरण कोलीबाक7846/  
का0न0वि0ग0-2016 दि0 19.3.16केअनुसार अदेश तल्लीनदार  
सर कोलीदि021.3.16को अदेश हुआ कि कोली  
विकासप्रधिकरणद्वारापंजाब नेशनल बैंक शाखागैरेन्डन्स कोली सेपमंगा  
आवसीय योजना हेतु भूमि 100 करोड में बचक की गई । #0X0क0  
25.4.16/7.6.16

|     |        |
|-----|--------|
| 62  | 0.1200 |
| 102 | 0.2000 |
| 189 | 0.0950 |
| 7   | 0.0270 |
| 94  | 0.3960 |
| 11  | 0.0270 |
| 200 | 0.0250 |
| 91  | 2.1430 |
| 211 | 0.9500 |
| 212 | 0.3760 |
| 134 | 0.1900 |
| 26  | 0.4170 |
| 121 | 0.8410 |
| 8   | 0.0270 |
| 193 | 0.6590 |
| 370 | 0.1390 |
| 372 | 0.0250 |
| 64  | 1.3560 |
| 92  | 1.5700 |
| 223 | 0.1140 |
| 357 | 0.3670 |
| 360 | 0.2660 |
| 128 | 0.6480 |
| 20  | 0.1730 |
| 350 | 0.3640 |
| 356 | 0.4930 |
| 159 | 0.1680 |

कृपया उक्त खचरे की प्रकृति (पुस्तक (पाठ) के बाद प्रस्त /विद्यमान /अवस्था /समाप्त/वर्गी ) हेतु खसरा संख्या पर बिलक को  
Disclaimer: उक्त भीकडे गण अनुसोचनाई है, उक्त बिलक आठव है, सरकारी केंद्र एका मी.का.सीलिकवाणी केंद्र से उदण को समाप्त प्रति प्राप्त की जा सकती है ।  
Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.









|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <p>377<br/>184<br/>185<br/>381<br/>87<br/>3<br/>385<br/>393<br/>12<br/>246<br/>140<br/>183<br/>401<br/>25<br/>36<br/>14<br/>78₹<br/>78₹<br/>375<br/>6<br/>244<br/>73₹<br/>175<br/>217<br/>342<br/>216<br/>343</p> | <p>0.0250<br/>0.1260<br/>0.1260<br/>0.4050<br/>0.3820<br/>0.3400<br/>0.2310<br/>0.3920<br/>0.0270<br/>0.1430<br/>0.2280<br/>0.2380<br/>0.4920<br/>0.2970<br/>0.2690<br/>0.1090<br/>0.0460<br/>0.0470<br/>0.1140<br/>0.0360<br/>0.2670<br/>0.0500<br/>0.2450<br/>0.1670<br/>0.5190<br/>0.8740<br/>0.7900</p> |
| <p>कृपया उक्त तालिका की प्रतिलिपि (पृष्ठ 6 (गणना) के बाद प्रस्तुत) केवल प्रयुक्त (निकास) के लिए ही उपयोग करनी चाहिए।<br/>         Disclaimer: उक्त आंकड़े मात्र सूचनात्मक हैं, उक्त तालिका का उपयोग केवल प्रयुक्त के लिए ही करना चाहिए।<br/>         Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.</p> |   |     |

|        |         |
|--------|---------|
| 238    | 0.0250  |
| 363    | 0.7140  |
| 365    | 0.2780  |
| 364    | 0.2590  |
| 353    | 0.1640  |
| 240    | 0.1540  |
| 234    | 0.3750  |
| 216    | 0.0380  |
| 225    | 0.7030  |
| 253मि  | 0.6250  |
| 144    | 0.1010  |
| 150₹   | 0.1390  |
| 339    | 0.9910  |
| 250    | 0.0630  |
| 248 मि | 0.8870  |
| 384    | 0.5840  |
| 384.   | 0.2940  |
| 223    | 76.9470 |

योग

कृपया उक्त खर्चे की प्रसिद्धि (एलंड (माह) के बाद प्रत्येक दिवस (द्वि-दशा /मासिक) के बाद संज्ञा पर लिख करे

Disclaimer: उक्त खर्चे का अनुमानित है, उक्त विवरण अंतिम है, अंतिम सफ्टवेयर केन्द्र में उद्योग की प्रगति प्रति प्राण की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.





**BHULEKH**  
Uttar Pradesh



### खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

|   |                |              |             |  |         |                     |
|---|----------------|--------------|-------------|--|---------|---------------------|
| ग्राम का नाम : डेहरिया                              | परामा : (बोली) | तहसील : बोली | जनपद : बोली | फसली बॉर् : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025) | भाग : 1 | खाता संख्या : 00001 |
| खातेदार का नाम / पिता पति सरलक का नाम / निवास स्थान |                | खसरा संख्या  | खेजकल (हे.) | अंश  |         | टिप्पणी             |

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के-अधिकार में हो।

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के सादर प्रस्त / विवरण / नामांतरण बही ) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त ऑन-डे माप उपयोग-नाही है, उक्त विवरण अद्यतन है, तथ्यांश कमप्यूटर केन्द्र से उत्पन्न की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



|  |            |               |   |
|--|------------|---------------|---|
| <p>अजय कुमार / हरसमरनलाल / नि0 271 चाहवाई बोली<br/>धर्मैन्द सिंह / प्रेमशंकर /<br/>जितेन्द्र / प्रेमशंकर / नि0 ग्राम<br/>श्याम सिहारी / ठाकुरदास / नि0 ग्राम<br/>गंगाराम / ठाकुरदास / नि0 ग्राम<br/>प्रवेश कुमार / ठाकुरदास / नि0 ग्राम<br/>धनेश राम / ठाकुरदास / नि0 ग्राम<br/>सोहन लाल / प्रेमराज / नि0 स्वपुर बहैपुरा</p> | <p>361</p> | <p>0.3670</p> | <p>1421क0 कार्यालय विशेष भूमि अपत्यादि अधिकारी (समुक्त संठन प्रणाल्या 645 / अड - नि0 प्र0 अ0अ0 (सं.सं.) बोली 2013 दि0 10.9.13तहसीलदार सरदर अदेश दि0 10.9.13/21.9.13 को अदेश हुआकि गटा सं0 361/0.010है0 लगान 13.20 से अजय कुमार पुत्र हरसमरन लाल नि0 271 चाहवाई व धर्मैन्द व जितेन्द्र सिंह न0अवु इन्0 13.11 वर्ष पुत्राल सं0 सविनी देवी माता व श्यामसिहारी व गंगाराम व मिलेकी सिंह व प्रवेश कुमार पुत्राल ठाकुरदास नि0ग्राम का नाम निरस्त कर बोली विकास प्राधिकरण बोली का नाम अंकित हो।ह0र0क0 21.9.13/27.9.13</p> <p>1423क0 सचिव बोली विकास प्राधिकरण बोलीसं07846/ का0ब0नि0ग्राम-2016 दि0 19.3.16 केअनुसार अदेश तहसीलदार सरदर बोली दि021.3.16को अदेश हुआ कि बोली विकास प्राधिकरणद्वारापंचाब सैनल बैंक शाखा एजेन्डुद्वारा बोली सेनापंगा अवसीय योजना हेतु भूमि 100 कपेट में बचक की गई। ह0र0क0 25.4.16/7.6.16</p> <p>1428क0 न्यायालय उय विलाधिकारी (सरदर) बोली। वाद सं-348/2020(202012130104172)। धारा 38(1) अ- प्र- राजस्व सचिता, 2006। ग्राम डोहरिया पर-तह- व जिला बोली / ग्राम डोहरिया पर-तह- व जिला बोली की खतौनी फसली वर्ष 1427-1432 के घाता सं- 0001 सभन्धी उपरोक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.9.2020 को निम्न अदेश पारित किया गया है - "ग्राम डोहरिया पर-तह- व जिला बोली स्थित आरानी खुदराण खतौनी 1427-1432 के खाता सं- 0001 पर अंकित खातेदार धनेश राम / ठाकुरदास / नि0ग्राम के स्थान पर सही ग्राम धनुष राम / ठाकुरदास / नि0ग्राम दर्ज हो।" ह0र0क0 6.10.2020/28.10.2020</p> |
| <p>योग</p>   | <p>1</p>   | <p>0.3670</p> | <p></p>   |





**BHULEKH**  
Uttar Pradesh

### खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : डोहरिया परामन : (बरेली) तहसील : बरेली जनापद : बरेली फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025) भाग : 1 खाता संख्या : 00116

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान क्षेत्रफल (हे.) अंश

टिप्पणी

श्रेणी : 6-2 / अकृषिक भूमि - स्वतः, सड़के, रेलवे, भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हैं।

चक्रोंड //

|     |        |
|-----|--------|
| 1   | 0.0970 |
| 5   | 0.0250 |
| 17  | 0.0840 |
| 21  | 0.0430 |
| 28  | 0.0740 |
| 32  | 0.0890 |
| 33  | 0.0560 |
| 43  | 0.0570 |
| 66  | 0.1580 |
| 69  | 0.0550 |
| 77  | 0.0240 |
| 93  | 0.0450 |
| 114 | 0.0330 |
| 104 | 0.0910 |
| 125 | 0.0370 |
| 137 | 0.1260 |
| 154 | 0.0310 |

कृपया इस छबरी की प्रस्थिति (प्लॉट (गाटा) के चार प्रस / विभाग N-नक्शा / नक्शावाली ) हेतु खसरा संख्या पर बिलक बंद

Disclaimer: यह ऑनलाइन प्रमाणित प्रमाणित है, इस विभाग अंकन है, तहसील कार्यालय केन्द्र एम सी, जे, सी/लोकपाली सेन्टर से उपरव की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

**NIC**  
NATIONAL  
INFORMATICS  
CENTRE

**d**  
Digital  
India

|         |        |
|---------|--------|
| 167     | 0.0460 |
| 182     | 0.0270 |
| 186     | 0.0240 |
| 192     | 0.0260 |
| 197     | 0.0230 |
| 210     | 0.0290 |
| 219     | 0.0350 |
| 239     | 0.0350 |
| 301     | 0.0860 |
| 345     | 0.0820 |
| 389     | 0.0290 |
| 405     | 0.1010 |
| 408     | 0.0560 |
| 427     | 0.0600 |
| 444     | 0.0620 |
| 458     | 0.0510 |
| 308/470 | 0.0190 |

योग

34

1.9160

सूचना, उक्त खतरे की प्रकृति (पृष्ठ संख्या) के बाद प्राप्त विवरण (समावेश्य नहीं) सेट खतरा संख्या पर विस्तार करें।

Disclaimer: उक्त खतरे प्राप्त असंशोधित हैं, उन विवरण शामिल हैं, भारतीय कानून के तहत लागू हैं, भारतीय कानून से उद्भव की प्रकृति की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



चक्रोद / /

|     |        |
|-----|--------|
| 3   | 0.0490 |
| 23  | 0.0390 |
| 36  | 0.0390 |
| 62  | 0.0390 |
| 67  | 0.0260 |
| 77  | 0.1250 |
| 83  | 0.0200 |
| 90  | 0.0100 |
| 97  | 0.0230 |
| 100 | 0.0400 |
| 108 | 0.0860 |
| 114 | 0.0210 |
| 126 | 0.0570 |
| 131 | 0.0220 |
| 143 | 0.0350 |
| 150 | 0.0330 |
| 159 | 0.0500 |
| 163 | 0.0610 |
| 173 | 0.0330 |

योग

19

0.8080

कृपया उक्त कक्षों की प्रस्थिति (एलएच / गल्लर) के बाद प्राप्त विकल्प / सु-संस्था / समंसेन बली ) से उतारा संख्या पर बिलक करें

Disclaimer: उक्त अधिकारों का उपयोग केवल केन्द्र द्वारा ही, उक्त विकल्प अर्थात् है, तमिल कानून केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

